न्यायालय उपखंड अधिकारी बीदासर

न.मु. सन् 2021 पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर.ए.एस.

मीरा आदि बनाम जीवणी आदि

1. मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
2. पार्वती पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
3. सुमन पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
4. ताराचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
5. नाबा. गोपाल पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट आयु 14 वर्ष निवासी ग्राम उडवाला जरिये प्राकृतिक संरक्षक व माता मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
6. नाबा. मनीषा पुत्री जाति जाट आयु 16 वर्ष निवासी ग्राम उडवाला जरिये प्राकृतिक संरक्षक व माता मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
7. नाबा. रामी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट आयु 17 वर्ष निवासी ग्राम उडवाला जरिये प्राकृतिक संरक्षक व माता मीरा पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू

वादीगण

बनाम

1 जीवणी पत्नी जेठाराम जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
2 रामनिवास पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
3 रामुराम पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी ग्राम उडवाला तहसील बीदासर जिला चूरू
4 ग्राम पंचायत उडवाला जरिये सरपंच ग्राम पंचायत उडवाला तहसील बीदासर
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक एवं राजस्व रिकार्ड

संशोधन धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट वास्ते वादीगण
2. मो. आमीन एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 4
3. पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर सत्यमेव जयते

लगातार 2 पर.....

Scanned by CamScanner

निर्णय दिनांक 6/12/21

दावा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम उडवाले मे खेत खसरा नंबर 604/510 तादादी 4.0722 हैक्टर तथा ख.नं. 7 तादादी 6.2726 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे वादीगण प्रत्येक के नाम 1/36 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 ता 3 प्रत्येक का 1/4 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है। सन् 2010 तक उपरोक्त खेतो मे 1/4 हिस्सा वादीगण के पति/पिता ओमप्रकाश के नाम खातेदारी मे दर्ज थी। वादीगण के पिता/पति ओमप्रकाश का सन् 2010 मे स्वर्गवास हो गया था। जिनका विरास्तन नामांतरण संख्या 751 के आधार पर वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हुये। परन्तु उक्त नामांतरण मे काली व सुमित्रा के नाम ओमप्रकाश का वारिस न होते हुये भी गलत रूप से दर्ज किये गये हैं। वादीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/28 दर्ज होना चाहिये था। परन्तु उक्त खाता मे वादीगण प्रत्येक के नाम 1/36 हिस्सा दर्ज है जिसके स्थान पर 1/28 हिस्सा वादीगण प्रत्येक के नाम दर्ज किया जावे।

5. यह कि स्व. ओमप्रकाश का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है–

ओमप्रकाश फौत

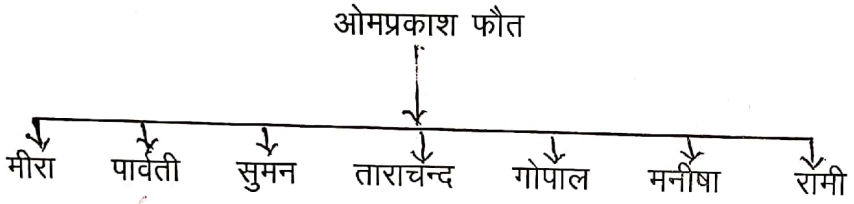

मीरा	पार्वती	सुमन	ताराचन्द	गोपाल	मनीषा	रामी
पत्नी मौ.	पुत्री मौ.	पुत्री मौ.	पुत्र मौ.	पुत्र मौ.	पुत्री मौ.	पुत्री मौ.

इस प्रकार काली व सुमित्रा के नाम खातेदारी से हटाकर उनके नाम की हिस्सा भूमि वादीगण के नाम दर्ज की जावे। तथा वादी गोविन्द के स्थान पर गोपाल व रामका के स्थान पर रामी दर्ज करवाने का भी निवेदन किया। उपरोक्त गलत राजस्व रिकार्ड के कारण वादीगण को सरकारी योजनाओ का लाभ नही मिल पा रहा है। तथा प्रतिवादीगण भी गलत राजस्व रिकार्ड के कारण वादीगण की भूमि पर कब्जा कर सकते है। क्योंकि उक्त गलत नामांतरण ग्राम पंचायत उडवाला द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसके कारण वादीगण की भूमि काली व सुमित्रा के गलत नाम दर्ज हुये। तथा गलत हिस्से दर्ज किये गये। जिस कारण ग्राम पंचायत को भी वाद मे प्रतिवादी संयोजित किया गया है। इस प्रकार वादी ने अपना वाद प्रस्तुत करते हुये रिलिफ मे ग्राम उडवाला मे खसरा नंबर 604/510 तथा खसरा नंबर 7 की जमाबंदी मे काली व सुमित्रा के नाम हटाकर इनके नाम की 2/36 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। तथा गोविन्द के स्थान पर गोपाल व रामका के स्थान पर रामी दर्ज किया जावे आदि आदि प्रस्तुत किया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला- सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

लगातार 3 पर.........

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बाद तामील हाजिर अदालत न आने पर उनके खिलाफ इक तरफा कार्यवाही की गई। तथा जबाव बंद किया गया। तथा प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने जबाव मे वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित बताया। तथा शेष प्रतिवादीगण 1 ता 3 की और से कोई जबाव पेश नही होने पर तनकीयात कायम नही की जा सकी। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे नकल जमाबंदी खसरा नंबर 7 जो प्रदर्श 1 है। नकल जमाबंदी खसरा नंबर 604/510 जो प्रदर्श 2 है। वादी संख्या 1 का शपथ पत्र जो प्रदर्श 3 है। तथा वादगत नामांतरण संख्या 751 जो प्रदर्श 4 है। तथा वादी गोपाल का आधार कार्ड जो प्रदर्श 5 है। तथा वादी रामी का आधार कार्ड जो प्रदर्श 6 है। तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जबाव मे वादगत भूमि पर कोई राजहित नही होना बताया। बयान वादी संख्या 1 के दर्ज करवाये तथा बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली को ध्यान पूर्वक पढ व तथ्यो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकार वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

ग्राम उडवाला मे खसरा नंबर 604/510 तादादी 4.0722 हैक्टर व खसरा नंबर 7 तादादी 6.2726 हैक्टर की जमाबंदी मे काली व सुमित्रा के नाम हटाकर उनके नाम की 1/18 हिस्सा भूमि वादीगण के नाम ब.हि.ब. दर्ज की जावे। तथा वादी गोविन्द के स्थान पर गोपाल व रामका के स्थान पर रामी दर्ज किया जावे। तदनुसार डिक्री जारी होकर तहसीलदार बीदासर को लिखा जावे कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती कर संशोधन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 6/12/21 ..... को मेरे द्वारा लिखवाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner